



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017

Date (दिनांक): 30/07/2026

16:48

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/07/2026 **Time (समय):** 16:48 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Time (समय):** 30/07/2026 16:48 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 85 Km Beat No. (बीट सं.):
(s)
(b) Address (पता): Ambala
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): राममेहर सिंह
- (b) Father's Name (पिताका नाम): रणधीर सिंह
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
01/01/1983
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Occupation (व्यवसाय):
- (h) Address
(पता):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गली नम्बर 9, नेहरु गार्डन कालोनी कैथल, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गली नम्बर 9, नेहरु गार्डन कालोनी कैथल, KAITHAL, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	डाक्टर अकुश शर्मा		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा मे,

श्रीमान विजिलेंस इन्सपेक्टर

कैथल ।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं राममेहर पुत्र रणधीर सिंह वासी गली न. 08 नेहरु गार्डन कॉलोनी कैथल का रहने वाला हूँ और मेरी नजदीक स्वामी विवेकानन्द स्कूल पाडला रोड कैथल पर भैंसो की डायरी है । मैंने बैंक से लोन करवा रखा है । मैंने भैंसो का बीमा करवाया हुआ है । पशुओं के बीमा को डॉक्टर अंकुर शर्मा पशु चिकित्सक पशुपालन विभाग कैथल से भैंसो की वैरिफिकेशन करने बाद रिपोर्ट/हैल्थ सर्टिफिकेट बैंक में देनी थी। मैं करीब 15 दिन पहले डॉक्टर अंकुर शर्मा से मिला जिसको मैंने कहा कि आप वैरिफिकेशन करके मोहर लगाकर अपनी रिपोर्ट/हैल्थ सर्टिफिकेट मुझे दे दो। जिस पर डॉक्टर अंकुर शर्मा ने कहा कि 30,000/- रुपये लगेंगे । मैं अपनी रिपोर्ट/ हैल्थ सर्टिफिकेट दे दूंगा । इस पर मैंने कहा कि मेरे पास अब कोई रुपये नहीं है पहले आप अपनी रिपोर्ट दे दो, जिस पर डॉक्टर साहब ने दस्तावेजों पर मोहर लगाकर रिपोर्ट मेरे को दे दी । मैंने यह रिपोर्ट SBI बैंक कैथल में जमा करवा दी । इसके बाद करीब एक हफ्ता पहले डॉक्टर मेरी भैंसो की डायरी में आया और मेरे से 30,000/- रुपये की मांग की और कहा वरना मैं तेरा बीमा बैंक में से कैंसल करवा दूंगा और डायरी को बन्द करवा दूंगा । मैंने कहा मुझे कुछ समय दे दो अब मेरे पास रुपये नहीं हैं । डॉक्टर बार बार मेरी डायरी में आकर मेरे पर दबाव दे रहा कि मैंने तेरा काम कर दिया है और रुपये की मांग कर रहा है । आज मैं पशु हस्पताल पट्टी अफगान कैथल में गया और डॉक्टर से कहा कि कुछ कम कर दो । उसने कागज पर 30,000 लिख कर दिखाए और अपने हाथ ईशारा करके कहा कि दो कम कर दो । मैंने कहा कि जायज कर लो तो उसने कहा कि जायज ही है । मैंने आज रिश्त मांगने बारे रिकार्डिंग, मेरे मोबाईल फोन में की हुई है, मैं मोबाईल फोन आपको बाद में पेश कर दूंगा । आज मुझे डॉक्टर अंकुर शर्मा ने 28,000 रुपये लेकर बुलाया है । मैं उसे रिश्त राशि नहीं देना चाहता । डॉक्टर अंकुर शर्मा पशु



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

चिकित्सक पशुपालन विभाग कैथल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए । मैंने आपको 500-500 रुपये 56 करन्सी नोट कुल 28,000/- रुपये डॉक्टर अंकुर शर्मा को देने के लिये दरखास्त के साथ पेश किये हैं ।

-sd- राममेहर

राममेहर पुत्र रणधीर सिंह

वासी गली न. 08

नेहरु गार्डन कॉलोनी कैथल

मो.न. 94665-75209

दिनांक 30.07.2026

कार्यवाही पुलिस:- आज दिनांक 30.07.2026 को मन निरीक्षक मय स्टाफ के कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल पर हाजिर था, कि शिकायतकर्ता राममेहर पुत्र रणधीर सिंह वासी गली न. 08 नेहरु गार्डन कॉलोनी कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और आपसी लेन-देन सम्बन्धित रिकार्ड बातचीत सुनने उपरान्त सन्तुष्टि होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500/- रुपये के 56 अदद करन्सी नोट मुबलिक 56,000/- रुपये मन निरीक्षक को पेश किए । जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई । फर्द सूचि करन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता राममेहर उपरोक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए । दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के उचित आदेश व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मन निरीक्षक द्वारा कैप्टन प्रमेश सिंह HCS CTM कैथल से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर कार्यालय रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल पर आने बारे सूचित किया गया । दरखास्त के मजबूत से डॉक्टर अंकुर शर्मा पशु चिकित्सक पशुपालन विभाग कैथल के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC ACT 1988 व 308 (2) BNS 2023 का सरजद होना पाया



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

गया । मन निरीक्षक मय स.उ.नि. उषा रानी न. 353/कैथल, मु.सि. धर्मयुद्धिष्ठर न. 1348/अम्बाला , मु.सि. अजय कुमार न. 03/30 व सि. मनीष न. 433/पंचकूला बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 1432 जिसका चालक ई.मु.सि. रोहित नरवाल न. 107/KKR व प्राइवेट गाडी तथा तफतीशी बैग, लैपटॉप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई । तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त मु.सि. धर्मयुद्धिष्ठर न. 1348/अम्बाला के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग सख्या अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए ।

अज- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल ।

-sd- Sube Singh

निरीक्षक,

रा.स. एवं भ्र.नि. ब्यूरो,

उपकेन्द्र कैथल ।

दिनांक 30.07.202

समय: 3.00 PM

अज थाना - इस समय एक टाईप शुदा लेख उपरोक्त निरीक्षक सुबे सिंह रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल बर दरखास्त राम मेहर पुत्र रणधीर सिंह वासी गली नम्बर 8 नेहरु गार्डन क्लोनी कैथल बर खिलाफ डॉक्टर अंकुर शर्मा पशु चिकित्सक पशुपालन विभाग कैथल बाजूर्म 7 PC ACT 1988 व 308 (2) BNS 2023 का होना पाया जाने पर बादस्त मु.सि. धर्मयुद्धिष्ठर न. 1348/अम्बाला के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 17 दिनांक 30.07.2026 धाराधीन 7 PC ACT 1988 व 308 (2) BNS 2023 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल की सेवा मे व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु आने वाले मु.सि. धर्मयुद्धिष्ठर न. 1348/अम्बाला के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक चन्द्र शेखर थाना रा.स.एवं भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है । ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। ले.



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): I (Inspector)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
SUBE SINGH

No. (सं.): 517KTL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919416073105

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

- (4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Pardeep Yadav



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)

Rank (पद): Dy. SP (Deputy
Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट